



भारत सरकार

Government of India

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change



## केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण Central Zoo Authority

पोस्ट / ई-मेल द्वारा

मी. स..25-1 / 2002-CZA (वॉल्यूम II) / 4400/2018

दिनांक: 12/09/2018

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय: सीओजेए को चिड़ियाघर द्वारा सांविधिक वार्षिक रिपोर्ट जमा करना - इसके प्रारूप - संबंधित।**

यह सूचित करना है कि चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 11(2) के तहत प्रावधानों के अनुसार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सेक्शन 38एच के तहत इस प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सभी चिड़ियाघरों को वार्षिक रिपोर्ट हर साल 30 जून तक इस प्राधिकरण को जमा करना है। प्रासंगिक नियम नीचे उद्धृत किया गया है:

'प्रत्येक चिड़ियाघर अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को वर्ष के जून के 30वें दिन तक प्रस्तुत करेगा।'


इस संबंध में, निर्धारित प्रारूप की अनुपस्थिति में, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट समान नहीं थीं और कई बार प्रासंगिक जानकारी को चिड़ियाघर की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा रहा था।

तदनुसार, इस मामले को 26 मार्च, 2018 को आयोजित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 85वीं बैठक में रखा गया था और चिड़ियाघर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रारूप समिति द्वारा विचार की गई और उसे विचार और अनुमोदन के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुशंसा की गई।

26 जून, 2018 को आयोजित 31वीं बैठक में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 11(2) के तहत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जमा करने के प्रारूप को मंजूरी दी।

चिड़ियाघर द्वारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट जमा करने के लिए अनुमोदित प्रारूप की एक प्रति जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। उपरोक्त को देखते हुए मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों द्वारा निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण को इस प्रारूप के तहत जमा करनी है।

**संलग्न : ऊपरोक्त अनुसार**

  
**(डॉ डी एन सिंह)**  
**सदस्य सचिव**

**सेवा मे**

मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर के ऑपरेटर।

(चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत नियम 2 के उप-नियम एम के तहत)

**जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि:**

1. सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक।
2. अहमदाबाद, औरंगाबाद, कोयंबटूर, कटक, ग्वालियर, इंदौर, मुंबई, पुणे, राजकोट, सोलापुर, सूरत, तंजावुर और वडोदर के नगर आयुक्त।
3. भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के प्रबंध निदेशक।
4. सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी।